भारत सरकार

खान मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 754

दिनांक 10.02.2025 को उत्तर देने के लिए

नीलाम खनन परियोजनाओं में देरी और चुनौतियाँ

754 श्रीमती फूलो देवी नेतम:
क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह देखते हुए कि 2020 से नीलाम किए गए 404 ब्लॉकों में से केवल 50 ही वर्तमान में संचालन में हैं, नीलाम किए गए खनिज ब्लॉकों के संचालन में अत्यधिक विलंब के क्या कारण हैं;
(ख) शेष ब्लॉकों के संचालन में तेजी लाने के लिए नव स्थापित परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और अंतर-मंत्रालयी और राज्य-स्तरीय बाधाओं को दूर करने में इसकी अपेक्षित भूमिका क्या है; और
(ग) क्या सरकार नीलाम किए गए ब्लॉकों की समन्वित निगरानी और तेजी से विकास प्रदान करने के लिए नीलामी के बाद खनन मंजूरी और अनुमोदन सुविधाकर्ता (पीएएमसीएएफ) को पुनर्जीवित करने पर विचार कर रही है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) आज की तारीख तक, नीलाम की गई 445 खानों में से, 56 खानें प्रचालनरत हैं। प्रचालन में लगने वाला समय खनन ब्लॉक की नीलामी के बाद आवश्यक विभिन्न मंजूरियों पर निर्भर करता है।

(ख) नव स्थापित परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) विभिन्न एजेंसियों से मंजूरियां प्राप्त करने में सफल बोलीदाताओं की पथ प्रदर्शन सहायता करने सहित खनिज ब्लॉकों के प्रचालन को तेज करने में मंत्रालय की सहायता करती है। इसमें शामिल हैं:

(i) मंजूरियों की स्थिति का आकलन करने के लिए नीलाम किये गये ब्लॉकों का आधारभूत अध्ययन करना; और

(ii) सभी खानों के लिए अनुमोदन को सरल और कारगर बनाने तथा मंजूरियों की वास्तविक समय स्थिति बनाये रखने और सुव्यवस्थित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों/कार्यालयों के साथ संपर्क करना।

(ग) नव स्थापित पीएमयू के आलोक में, नीलामी पश्चात खनन मंजूरी और अनुमोदन सुविधाकर्ता (पीएएमसीएएफ) को पुनर्जीवित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

*****